**दिल्ली में सरकारी दुकानों के माध्यम से खाद्यान्नों की बिक्री**

252. **श्री शंकर दयाल सिंह** : क्या **नागरिक आपूर्ति, उपभोक्ता मामले और सार्वजनिक वितरण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली में खाद्यान्नों की बिक्री हेतु कितनी सरकारी दुकानें हैं और उनके द्वारा प्रत्येक माह कुल कितनी मात्रा में खाद्यान्नों का वितरण किया जाता है;

(ख) क्या पिछले तीन वर्षों के दौरान उनके माध्यम से बेचे जा रहे खाद्यान्नों के मूल्यों में कोई वृद्धि की गई है और यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है; और

(ग) क्या सरकार दिल्ली दुग्ध योजना द्वारा बेचे जा रहे दूध के मूल्य में की गई कमी की तरह ही खाद्यान्नों के बिक्री मूल्य में भी कमी करने का विचार रखती है ?

**नागरिक पूर्ति, उपभोक्ता मामले और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्यमंत्री और वाणिज्य में राज्य मंत्री (श्री कमालुद्दीन अहमद)** (क) उचित दर दुकानें 3437 हैं (सरकारी तथा सहकारी एजेंसियों और निजी व्यापारियों द्वारा चलाई जाती हैं) वे इस समय प्रति माह लगभग 16000 मि० टन चावल और 60,000 मी० टन गेहूं का वितरण करती हैं।

(ख) गत तीन वर्षों के दौरान चावल और गेहूं के उपभोक्ता मूल्य निम्नवत् रहे हैं :

**उपभोक्ता मूल्य**

(रु० प्रति कि० ग्रा०)

| चावल (जिस तारीख से प्रभावी हैं) | गेहूं (जिस तारीख से प्रभावी है) |
|---|---|
| 3.46 (1-5-90) | 2.48 (1-5-90) |
| 3.93 (25-6-90) | 2.96 (28-12-91) |
| 4.86 (28-12-91) | 3.00 (4-9-92) |
| 4.90 (4-3-92) | 3.52 (11-1-93) |
| 5.53 (11-1-93) | |

(ग) इस समय कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन नहीं है।

**सुपर बाजार में कार्यरत महिला कर्मचारी**

253. **श्रीमती चम्पिका अभिनन्दन जैन** : क्या **नागरिक आपूर्ति, उपभोक्ता मामले और सार्वजनिक वितरण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 31 अक्तूबर, 1993 की स्थिति के अनुसार सुपर बाजार में कार्यरत महिला कर्मचारियों की शाखा-वार संख्या कितनी है;

(ख) प्रत्येक महिला कर्मचारी के नाम, पद, शैक्षणिक योग्यता, वैवाहिक स्थिति और नियुक्ति की तिथि के संबंध में श्रेणी-वार ब्यौरा क्या है;

(ग) उनमें से अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और पिछड़े वर्गों की महिला कर्मचारियों की संख्या कितनी-कितनी है;

(घ) क्या यह सच है कि सुपर बाजार में महिला कर्मचारियों को पुरुष कर्मचारियों की तुलना में कम वेतन दिया जा रहा है और उन्हें अन्य सुविधाओं और लाभों से वंचित रखा जा रहा है और उनके साथ घोर अन्याय किया जा रहा है;